राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006
फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,
वेबसाईट : www.rajexcise.gov.in ई–मेल : purchasersgsm@gmail.com

ई–निविदा दर अनुबंध आमंत्रण सूचना

20 मदिरालयो पर

संपूर्ण देशी मदिरा भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा/पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये

द्वि–भाग निविदा

भाग– प्रथम

तकनीकी निविदा

निविदा क्रमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा भराई/खुली निविदा/2017–18/135 दिनांक 12.12.2017

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 16.01.2017 को सायं 6.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 16.01.2017 को सायं 6.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 17.01.2017 को दोपहर 02.30 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 1180 मय जीएसटी मात्र
निविदा प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा भराई / खुली निविदा / 2017–18 / 135 दिनांक 12.12.2017

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन 20 मदिरालयो संपूर्ण देशी मदिरा भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा / पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से कार्य विवरण, जैसा कि नीचे अंकित किया गया है हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

कार्य	अनुमानित व्यय	निविदा प्रपत्र शुल्क / प्रोसेस फीस	अमानत राशि	दर वैधता अवधि	दिनांक / समय जिस तक निविदा अपलोड करनी है	निविदा खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
20 मदिरालयो पर संपूर्ण देशी मदिरा भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा / पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा	559.74 लाख वार्षिक	रू. 1180 मय जीएसटी / रू. **1000**	अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत (मदिरालय वार विवरण एनेक्सर एफ पर देखें)	90 दिवस	दिनांक 16.01.2017 सायंकाल 6.00 बजे तक मुख्यालय पर	दिनांक 17.01.2017 दोपहर 02.30 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसम , जयपुर पर

1. दरें वित्तीय निविदा (BOQ) में अंकित करें।
2. निविदादाता किसी एक या सभी मदिरालयों के लिये निविदा में दर उद्धृत कर सकता है।
3. सभी मदिरालयों के लिये एक ही निविदा प्रपत्र काम में लिया जायेगा तथा वित्तीय बिड में मदिरालय वार पृथक–पृथक दरें अंकित की जायेगी।
4. **दरें प्रति बॉक्स (केस) आधार पर ही वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जावे। एनेक्सर एफ में अंकित जीएसटी इस संस्थान द्वारा पृथक से देय होगा। GST की दर को वित्तीय निविदा में पृथक से दर्शायें और अगर पृथक से नही दर्शाया जायेगा तो यह माना जायेगा कि प्रस्तुत दर GST सहित है।**
5. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी,

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

6. निविदा प्रपत्र वेबसाइटwww.rajexcise.gov.in or www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.inसे डाउनलोड किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1180 मय जीएसटी मात्र एवं बोली प्रतिभूति राशि जिसे RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा 16.01.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा। अन्यथा बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी। साथ ही प्रोसेस फीस की राशि रू. 1000, MD, RISL, payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा 16.01.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. निर्धारित तिथि एवं समय अपलोड की गई निविदाओं को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला (डाउनलोड) जावेगा।
10. निविदादाता की तकनिकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, तथा वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से निविदादाता को प्राप्त हो जावेगी।
11. तकनिकी निविदा के साथ जीएसटी पंजीयन/ईएसआई/पी.एफ./श्रम विभाग का पंजीकरण/आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां ऑनलाईन निविदादाता को प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
12. मदिरालयो पर गमिंग मशीन की आपूर्ति संस्थान द्वारा ना की जाकर निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी। उक्त मशीनो की दैनिक सफाई, मैन्टैनेंस भी निविदादाता द्वारा स्वंय के व्यय पर की जावेगी।
13. संबंधित सफल निविदादाता को 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा, व अनुबन्ध के साथ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
14. **संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये निविदा को निरस्त किया जा सकेगा। किसी मदिरालय विशेष के लिये कार्य विवरण में प्राप्त दरों में अलग–अलग निविदादाता की दरें न्यूनतम प्राप्त होने की स्थिति में प्रबन्धन उचित निर्णय करने के लिये स्वतंत्र होगा।**
15. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।

17. कम्पनी मुख्यालय में ऑफलाईन केवल निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं शपथ पत्र ही प्रस्तुत किये जावें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें। साथ ही निविदादाता यह भी सुनिश्चित करें कि निविदा संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	
परिचय	
निविदा क्रमांक	आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा भराई/खुली निविदा/2017–18/135
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	संपूर्ण देशी मदिरा भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा/पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1180 मय जीएसटी का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : purchasersgsm@gmail.com
प्री बिड बैठक	हाँ, 28.12.2017 प्रातः 11.30 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
निविदादाता को बिड के साथ संलग्न करना है–	निविदा की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'एफ' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	निविदादता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
निविदा डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 16.01.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 17.01.2017 दोपहर 02.30 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संचालक मंडल, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लि0

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर

मैं/हम .... (व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत .... (पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

कार्यालय पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

पत्र व्यवहार का पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

दूरभाष संख्या कार्यालय ——————————————————

निवास ——————————————————

पता ——————————————————

फैक्स ——————————————————

ई–मेल ——————————————————

मोबाईल ——————————————————

वैधानिक विवरणः–

आयकर विभाग पंजीयन(पैन) ——————————————————

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

माल एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक (GSTIN)	----------------------------
कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के अनुसार पंजीयन संख्या एवं दिनांक	----------------------------
पीएफ कोड संख्या	----------------------------
ई.एस.आई. में पंजीयन संख्या	----------------------------
माल एवं सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ	----------------------------
बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण	
डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक	----------------------------
डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक राशि	----------------------------
निविदादाता का बैंक का नाम	----------------------------
निविदादाता का बैंक खाता संख्या	----------------------------
निविदादाता का बैंक आरटीजीएस न0	----------------------------
हस्ताक्षर	----------------------------
नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता	----------------------------

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited
4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan,Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 006 (Rajasthan)

निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि आरएसजीएसएम कार्यालय, नेहरू सहकार भवन में नियमानुसार जमा करानी होगीः–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	**रू. 1180 मय जीएसटी**	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Jaipur
2	बोली प्रतिभूति राशि ✱	2%अनुमानित मूल्य का	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Jaipur
3	ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	रू.1000 /-	डिमाण्ड ड्राफ्ट	Managing Director, RISL, Jaipur

✱बोली प्रतिभूति राशि 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रूपये 10.00 लाख से अधिक धनराशि ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी द्वारा उपरोक्त राशि निविदादाता द्वारा आरएसजीएसएम, मुख्यालय, जयपुर में दिनांक **16.01.2017** को **सांय 6.00** बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

2. ई–निविदा में सभी संशोधन ई–निविदा जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. ई–टेन्डरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश

अ. ई–निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ब. निविदा दाताओं को ई–निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

द. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

य. टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

ल. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में भौतिक रूप में निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता के लिये ई–निविदा प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में 20 मदिरालयों पर

<u>संपूर्ण देशी मदिरा </u>भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा/पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा

<u>*टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में " राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 " एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।*</u>

1. यह ई–निविदा वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए है जिसमें बोलीदाता को सम्पूर्ण मदिरा भराई का कार्य करना होगा। **<u>जिसमें मूलभूत कार्य</u>** मदिरालयों पर देशी मदिरा भराई व कांच/पेट बोतल/ पव्वा की धुलाई; भराई कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया संपादित करने का कार्य गमिंग मशीन से लेबल्स लगाने के इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। **<u>गमिंग मशीन की आपूर्ति तथा बाद में उसकी मेन्टीनेस संस्थान द्वारा न की जाकर स्वंय निविदादाता द्वारा की जावेगी ।</u>**
2. **<u>कार्य का विवरणः–</u>**अनुबंधदाता को स्टोर से खाली बोतल, अद्धे एवं पव्वे सफाई/धुलाई स्थल तक लाने होंगे, धुलाई पश्चात मशीन पर लाकर भराई करवाकर चैकिंग के पश्चात् गमिंग मशीन द्वारा बैच नं. लगे हुए लेबल लगाने होगें (सभी लेबलो पर बैंच नं., मदिरालय का नाम एवं दिनांक अंकित करने होगें) तद्उपरान्त निर्धारित मात्रा में कॉर्टन में पैक करने व भरे हुए कॉर्टन को वापिस स्टोर तक पहुँचाकर उन्हें जमाने होगें। इसके पश्चात भराई स्थल, मशीन व स्टोर की पूर्ण साफ–सफाई करने के पश्चात प्रभारी को सुपुर्द करके ही जाना होगा। अर्थात् खाली बोतल, अद्धे, पव्वे स्टोर स्थान से लेकर, भरी मदिरा के कॉर्टन स्टोर में स्टेकिंग करने तक की समस्त प्रक्रिया का कार्य करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ एनेक्सर "एफ" में वर्णितानुसार बिड सिक्योरिटी (अमानत) की राशिबैंकर चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो "राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड" के नाम देय हो जमा कराया जाना है। सफल निविदादाता को अनुबंध निष्पादन के समय अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन सिक्योरिटी (जमानत राशि) के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में निविदा के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात 60 दिवस में लौटायी जायेगी।
4. कुल निविदा मात्रा अनुसार रूपये 559.74 लाख (एनेक्सर "एफ") धनराशि का आकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत अमानत राशि के आधार पर सम्पूर्ण निविदा मात्रा पर अमानत राशि लगभग रूपये 11.20 लाख बनती है। निविदादाता द्वारा ऑफर

मात्रा के मुल्य की 2 प्रतिशत अथवा निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार अमानत राशि (Bid Security) जमा कराई जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा की अमानत राशि (Bid Security) जमा कराई जावें। उक्तानुसार जमा अमानत राशि के आधार पर निविदा के ऑन–लाईन स्वीकार नही होने की स्थिति में अमानत राशि के कॉलम में रूपये 11.20 लाख वर्णित करें तथा उक्तानुसार गणना करते हुये निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार वास्तविक अमानत राशि का डी.डी./ बैंक गारन्टी की स्केन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

5. वित्तीय बिड में मदिरालय वार पृथक–पृथक दरें अंकित की जायेगी।

6. **ई.पी.एफ, ई.एस.आई, श्रम विभाग का पंजीयन व जी.एस.टी का रजिस्ट्रेशन नम्बर, आयकर का पैन संख्या संस्थान को तकनिकी निविदा के साथ ही उपलबध कराना होगा। इसके अभाव में निविदादाता की निविदा निरस्त की जा सकेगी।**

7. उक्त भराई कार्य के श्रमिकों को देय राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ, एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करानी होगी तथा छाया प्रतिलिपी बिल के साथ भी सलंग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस.आई रिटर्न निविदादाता द्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अभाव में निविदादाता को देय राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।

8. खाली बोतल, अद्धे एवं पव्वे में तथा अन्य पैकिंग मैटिरियल सामग्री में टूट फूट के लिए एवं श्रमिकों की वजह से कम्पनी को कोई हानि होती है तो इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

8. कान्ट्रेक्टर का लेबर रेग्यूलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में किये गये संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।

9. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा एवं आपके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

10. बोतल, अद्धे व पव्वे भराई का भुगतान भरे हुये कॉर्टन पैकिंग की गणना के आधार पर मासिक रूप से प्रभारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड से वैरीफिकशन के पश्चात किया जावेगा।

11. प्रतिदिन संस्थान की आवश्यकतानुसार बोतल, अद्धे व पव्वों की धुलाई/लेबलिंग/पैकिंग इत्यादि कार्य आपको करवाने होंगे। **संस्थान को निर्धारित संख्या में प्रतिदिन पेटी भराई एवं पैकिंग नहीं किये जाने की स्थिति में उस दिवस में कम भराई के लिये रू. 10 प्रति पेटी की दर से शास्ति आरोपित करते हुये मासिक देय भुगतान में से कटौती की जावेगी।**

12 निविदादाता द्वारा कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम, पते प्रतिदिन गोदाम प्रभारी को नोट करवायेंगे तथा निविदादाता स्वंय ही अपने रजिस्टर में उनके संबंध में सूचना रखेंगे एवं श्रमिकों का विवरण सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन नोट करायेंगे। यथासंभव श्रमिकों के आधार कार्ड/फोटोयुक्त आईडी की एक छायाप्रति स्वयं के अभिलेख में अवश्य रखें। अधिकृत निविदादाता के कार्मिक पहचान के लिए फोटो आई.डी. पूफ्र पहनना आवश्यक होगा।

13 निविदादाता को आबकारी एवं संस्थान के नियमानुसार देशी मदिरा भराई एवं धुलाई कार्य करवाना होगा। श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां/अपराधिक मामलों में लिप्त पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। संस्थान को संबंधित

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

श्रमिक के कारण होने वाले नुकसान की वसूली आपसे की जाकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14 जमानत राशि 5 प्रतिशत की दर से होगी जो इस राशि में से टेण्डर के साथ आप द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि को समायोजित करने के बाद शेष प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता को मुख्यालय में 15 दिवस में जमा करानी होंगी। यह प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक निष्पादन के पश्चात बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।

15 आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में संस्थान द्वारा आंशिक अथवा सम्पूर्ण आदेश निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपका कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16 उपर्युक्त कार्य में प्रयुक्त सभी कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधानों/दायित्वों के लिये अनुबंधदाता उत्तरदायी होंगे।

17 निविदादाता द्वारा सभी मशीनों पर कार्य करने के लिये अनुभवी श्रमिकों को ही लगाया जावेगा एवं कोई भी बाल श्रमिक नहीं रखा जायेगा।

18 श्रमिकों के द्वारा कार्य की अवधि के दौरान यदि मशीन में किसी प्रकार की टूट–फूट या क्षति होती है तो उसके लिये निविदादाता स्वंय जिम्मेदार होंगे।

19 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कम्पनी के प्रभारी संचालक के द्वारा किसी भी अधिकारी को सोल ऑर्बीट्रेटर नियुक्त किया जा सकेगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। एकल पंच पर होने वाला व्यय दोनों पक्षों के द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

20 निविदा में अंकित दरें कार्य आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये होंगी। लेकिन संस्थान को आवश्यकता होने की स्थिति में इन्हीं नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन तीन माह अतिरिक्त बढायी जा सकती है। अनुबंध अवधि को घटाया भी जा सकेगा, जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा।

21 इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।

22 सेमी ऑटोमेटिक मदिरा भराई मशीनों का निर्धारित क्षमता (उत्पादन) या मांग अनुसार उत्पादन नहीं देने पर उचित नोटिस जारी कर आप के रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य स्त्रोतों से कार्य करवाया जावेगा।

23 प्रतिदिन कार्य सम्पन्न होने पर साफ–सफाई व मशीनों का प्रतिदिन उक्त शिफ्ट का मेन्टीनेंस कार्य आप को करना होगा।

24 स्टॉम्प्स रूल्स के अनुसार निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर सफल निविदादाता को अनुबन्ध करना होगा एवं स्टाम्प राशि का व्यय भार उसका स्वयं का होगा।

25 अनुबंधदाता को राज्य/केन्द्रीय सरकार के संबंधित नियमों की पालना करनी होगी तथा आपके बिलों में से नियमानुसार आयकर/ सर्विस टैक्स या अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।

26 निविदा प्रपत्र अनुबन्ध का भाग होगा।

27 अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आरटीपीपी एक्ट, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

28 अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि मय 18 प्रतिशत जीएसटी सहित आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

29 सफल निविदादाता द्वारा काम पर लगाये गये श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के सामने करना होगा। उसके बाद सफल निविदादाता को बिल का भुगतान किया जावेगा।

30 यदि सफल निविदादाता को कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नहीं करता है एवं कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।

31 दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

32 कार्य आदेश उपरान्त किसी भी समय ठेका समाप्ति का महा प्रबन्धक, मुख्यालय जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।

33 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

34 यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
निविदा एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप निविदायें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2)संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. विधिमान्यता :– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
5. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

   (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्त्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
8. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
9. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

10. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :– (क) निविदा के साथ एनेक्सर ''एफ'' में अंकित अ एवं ब भाग अनुसार बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(क) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

11. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु, निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

12. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :– (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। अनुबंध के साथ ही 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ।

(5) (1) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

13. भुगतान :–

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

14. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा नुकसान के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

15. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

16. संस्थान किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

17. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

18. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

19. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc l

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Annexure "E"

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तकनीकी बिड चैक लिस्ट

(तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	निविदादाता का नाम	
2	हैसियत जिसके तहत निविदा प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3	पता मय पिनकोड, दूरभाष एवं ई–मेल	
4	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	अमानत राशि (बैंकर चैक/डीडी का विवरण) निविदा प्रपत्र फीस (बैंकर चैक/डीडी का विवरण) प्रोसेस फीस (बैंकर चैक/डीडी का विवरण)	
6	शर्तों की स्वीकारोक्ति में रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (प्रमाण में दस्तावेज संलग्न करें)	
7	माल एवं सेवा कर (GSTIN) पंजीयन संख्या (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
8	श्रम अनुबंध (रेग्यूलेशन एवं अबोलिशन)अधिनियम 1970 के तहत अनुज्ञा पत्र (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
9	ईपीएफ कोड (पीएफ विभाग द्वारा आवंटित कोड) (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
10	ईएसआई संख्या (ईएसआई विभाग द्वारा आवंटित संख्या) (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
11	पूर्व में विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभाग में प्राप्त अनुभव यदि कोई हो तो, समर्थक दस्तावेज संलग्न करें	
12	यदि निविदादाता किसी सरकारी विभाग में किसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध हो तो दस्तावेज संलग्न करें।	

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure F

संपूर्ण देशी मदिरा भराई, कांच की बोतल एवं पव्वा/पेट, पव्वों की धुलाई, भराई, सीलिंग इत्यादि प्रक्रिया उपरान्त गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग करना एवं पैकिंग उपरान्त निर्धारित स्थान पर रखना इत्यादि के कार्य हेतु दर संविदा का वार्षिक अनुमानित व्यय

	मदिरालय	मदिरालय वार वार्षिक अनुमानित व्यय (राशि लाख में)	बिड सिक्योरिटी 2 प्रतिशत (राशि रूपये में)
1	झोटवाडा	58.77	117540
2	सीकर	31.58	63160
3	झुझुनू	43.50	87000
4	अजमेर	33.87	67740
5	भीलवाडा	20.43	40860
6	कोटा	32.62	65240
7	बांरा	15.40	30800
8	बून्दी	24.55	49100
9	मण्डोर (जोधपुर)	22.85	45700
10	रानी	17.27	34540
11	सिरोही	25.99	51980
12	भरतपुर	20.33	40660
13	अलवर	12.12	24240
14	धौलपुर	11.50	23000
15	सवाईमधोपुर	21.18	42360
16	उदयपुर	18.61	37220
17	चित्तौडगढ	17.16	34320
18	श्रीगंगानगर	45.86	91720
19	हनुमानगढ	55.61	111220
20	बीकानेर	30.54	61080
कुल		**559.74**	**1119480**

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध–पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक .... माह ...., सन् 2017 को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (जिसे इसमें आगे ''संस्थान'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझाा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि, अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के अधीनस्थ मदिरालय .... .पर, इससे संलग्न कार्यादेश क्रमांक .... दिनांक .... में दी गयी सभी वस्तुओं/सेवाओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त कार्यादेश में दी गयी दरों पर मदिरालय ....पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2. निविदा सूचना संख्या आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा भराई/खुली निविदा/2017–18/135 दिनांक 12.12.2017 से संलग्न खुली ई–निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिखा हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।
3. धरोहर राशि जमा करने का विवरण : डी. डी. संख्या................... दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम............
4. **कार्य का विवरणः–** अनुबंधदाता को स्टोर से खाली बोतल, अद्धे एवं पव्वे सफाई/धुलाई स्थल तक लाने होंगे, धुलाई पश्चात मशीन पर लाकर भराई करवा कर गमिंग मशीन द्वारा लेबल लगाने, कॉर्टन में पैक करने व भरे हुए कॉर्टन को वापिस स्टोर तक पहुॅचाकर उन्हें जमाना होगा। इसके पश्चात भराई स्थल, मशीन व स्टोर की पूर्ण साफ–सफाई करने के पश्चात प्रभारी को सुपुर्द करके ही जाना होगा। अर्थात् खाली बोतल, अद्धे, पव्वे स्टोर स्थान से लेकर, भरी मदिरा के कॉर्टन स्टोर में स्टेकिंग करने तक की समस्त प्रक्रिया का कार्य करना होगा।• **गमिंग मशीन की आपूर्ति तथा मेन्टीनेन्स संस्थान द्वारा न की जाकर निविदादाता द्वारा स्वंय के व्यय पर किया जावेगा ।**
5. भराई कार्य के श्रमिकों को देय राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ एवं अन्य कर निविदादाता को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करानी होगी तथा छाया प्रतिलिपी बिल के साथ भी सलंग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस.आई रिटर्न निविदादाता द्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अभाव में निविदादाता को देय राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।

6. अनुबंधदाता को राज्य/केन्द्रीय सरकार के संबंधित नियमों की पालना करनी होगी तथा आपके बिलों में से नियमानुसार आयकर/ GST या अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
7. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।
8. इस अनुबन्ध के संबंध में यदि कोई प्रकरण भविष्य में आरब्रीटेटर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो मध्यस्थ की फीस दोनों पक्षों द्वारा बराबर वहन की जायेगी।
9. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर अवस्थित न्यायालय होगा।
10. प्रतिदिन संस्थान की आवश्यकतानुसार बोतल, अद्धे व पव्वों की धुलाई/लेबलिंग/पैकिंग इत्यादि कार्य आपको करवाने होंगे। संस्थान को निर्धारित संख्या में प्रतिदिन पेटी भराई एवं पैकिंग नहीं किये जाने की स्थिति में उस दिवस में कम भराई के लिये रू. 10 प्रति पेटी की दर से शास्ति आरोपित करते हुये मासिक देय भुगतान में से कटौती की जावेगी।
11. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न संस्थान द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह ...., सन् 2017 को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर
कम्पनी की ओर हस्ताक्षर पदनाम मय सील

दिनांक :
निविदादाता की ओर से गवाह 1

निविदादाता की ओर से गवाह 2

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर